



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर


कमांक-प्रशा./विविध/2018/157

दिनांक : - 4 MAY 2018

// अधिसूचना //

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के विभिन्न परिसरों स्थित आवासों में निवासरत समस्त संबंधित शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिसूचित किया जाता है, कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 9.03.2018 में लिये गये निर्णयानुसार "भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 (मूलभूत नियम 45 "ए" के अधीन मासिक किराया भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 के किए गए संशोधन, दिनांक 4.10.2013 के फलस्वरूप लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) की दरें अंगीकृत की गई है।"

आदेशानुसार,



प्रभारी कुलसचिव

पू.कमांक-प्रशा./चौ बीस(1)/2018/157

दिनांक - 4 MAY 2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/शिक्षकगण/विभाग प्रमुख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधिकारीगण /कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्त नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. केन्द्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. बाह्य अंकक्षण की ओर सूचनार्थ ।
6. विश्वविद्यालय यंत्री की ओर उक्त अधिसूचना अनुसार किराया निर्धारण तथा उसकी नियमित वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
7. स्थापना विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
8. संबंधित लिपिक कार्यपरिषद् सेल की ओर पालन प्रतिवेदन हेतु प्रेषित।
9. अध्यक्ष, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, शिक्षक संघ की ओर सूचनार्थ।
10. अध्यक्ष, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी (गैर शिक्षक) संघ की ओर सूचनार्थ।
11. विभागाध्यक्ष IT सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


उप कुलसचिव(प्रशा.)